पत्रांक : 2प० / वि०–17–01 / 2025(खण्ड) / 5375 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ललित राही,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
नालंदा।

पटना, दिनांक 6/4/26

विषय : नालंदा जिलान्तर्गत प्रखण्ड–चण्डी के ग्राम पंचायत–बेलछी के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के बिन्दु पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक–185 दिनांक 21.01.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा यह सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत राज–बेलछी के मुखिया की मृत्यु दिनांक 10.12.2025 को हो गयी है। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत राज–बेलछी के उप मुखिया के द्वारा मुखिया के शक्तियों, कार्यों एवं कर्तव्यों का निष्पादन किया जा रहा है। इसी दरम्यान ग्राम पंचायत राज–बेलछी के कुल 13 वार्ड सदस्यों में से 9 वार्ड सदस्यों के द्वारा उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस संबंध में आपके द्वारा चण्डी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज–बेलछी के उप मुखिया के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किनके स्तर से किया जायेगा, के बिन्दु पर विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–18(4)(ii) में उप मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाये जाने का प्रावधान किया गया है जो निम्नवत् है :–

"प्रत्येक उप–मुखिया द्वारा उसी समय से अपना पद खाली कर दिया गया मान लिया जाएगा, यदि विशेष तौर पर इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों एवं मुखिया की संख्या के साधारण बहुमत से उसमें विश्वास न रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। ऐसी विशेष बैठक की अध्यपेक्षा ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के कम–से–कम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर से मुखिया से की जाएगी और यह मुखिया को सुपुर्द कर दी जायेगी। अध्यपेक्षा प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मुखिया ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्ताव पर विचार हेतु ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलायेगा तथा बैठक की अध्यक्षता भी करेगा।"

क्रृ०पृ०उ०

D:\Rakesh Sir\Letter.docx

विदित हो कि ग्राम पंचायत राज–बेलछी में कुल 13 वार्ड सदस्य हैं। उनमें से 9 वार्ड सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अधिनियम की धारा–18(4)(ii) के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव की अध्यपेक्षा ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के कम–से–कम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर से मुखिया से की जायेगी और यह मुखिया को सुपुर्द कर दी जायेगी। स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव मुखिया को हस्तगत कराई जायेगी।

वर्तमान में ग्राम पंचायत राज–बेलछी के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–17(2) के आलोक में ग्राम पंचायत राज–बेलछी के उप मुखिया के द्वारा ही मुखिया के सभी शक्तियों, कार्यों एवं कर्तव्यों का निष्पादन किया जा रहा है। स्पष्ट है कि उप मुखिया ही मुखिया के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव मुखिया पद नाम से संबोधित कर उप मुखिया (जो कि अभी मुखिया के रूप में कार्य कर रहे हैं) को सुपुर्द की जायेगी एवं तत्पश्चात् मुखिया के रूप में कार्य कर रहे उप मुखिया के द्वारा विशेष बैठक हेतु तिथि निर्धारित की जायेगी।

बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 5 के आलोक में मुखिया को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान है। यदि मुखिया के द्वारा विशेष बैठक नहीं बुलाया जा सके, तो उप मुखिया के द्वारा विशेष बैठक बुलाया जायेगा। उप मुखिया (जो कि अभी मुखिया के रूप में कार्य कर रहे हैं) के द्वारा विशेष बैठक हेतु तिथि एवं समय का निर्धारण किया जा सकेगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–20(5) के अनुसार मुखिया यदि विशेष बैठक न बुलाये तो उप मुखिया या उसकी अनुस्थिति में ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्य के द्वारा ऐसी बैठक बुलाया जायेगा। तद्नुसार ग्राम पंचायत सचिव नोटिस निर्गत कर बैठक बुलाने के लिए यथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–18(4)(ii) के तहत् अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु ग्राम पंचायत की विशेष बैठक की अध्यक्षता मुखिया के द्वारा किये जाने के प्रावधान है। अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव की बैठक के लिए कोई कोरम निर्धारित नहीं है, पर दिनांक 10.02.2026 को एस०एल०पी०–2168/2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि "अविश्वास प्रस्ताव की किसी बैठक में कुल सदस्यों के कम–से–कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा अविश्वास प्रस्ताव गिरा हुआ माना जायेगा।"

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में ग्राम पंचायत–बेलछी के उप मुखिया के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन

(ललित राही)
विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Rakesh Sir\Letter.docx

लगातार.........

ज्ञापांक : 2प०/वि०–17–01/2025(खण्ड)/5375/पं०रा० पटना, दिनांक 6/4/26

प्रतिलिपि : सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/4/26

(ललित राही)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 2प०/वि०–17–01/2025(खण्ड)/5375/पं०रा० पटना, दिनांक 6/4/26

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/4/26

(ललित राही)

विशेष कार्य पदाधिकारी